न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः प्रज्ञा केवलरमानी, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 40/2025 अपील (GCMS 2025/47)
पंजीयन दिनांक– 15/01/2025

वनिता पुत्री बाबूलाल पत्नि संजय कुमार, निवासी करजू, तहसील छोटीसादड़ी, जिला प्रतापगढ़ हाल मुकाम होली चौक, भीमगढ़ तहसील राशमी, जिला चित्तौडगढ़

– **अपीलांट**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, छोटीसादड़ी
2. ऋषभ कुमार पिता प्रकाशचन्द्र, निवासी करजू, तहसील छोटीसादड़ी, जिला प्रतापगढ़

– **रेस्पोडेंट्स**

उपस्थितिः–

1. शाहनवाज खान – वकील अपीलांट
2. श्री मुरलीधर पालीवाल – राजकीय अभिभाषक
3. श्री भावेश जैन – वकील रेस्पोडेंट संख्या 2

अपील अन्तर्गत धारा–75, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956
विरूद्ध निर्णय तहसीलदार, छोटीसादड़ी के प्रकरण संख्या 11/2022
दिनांक 06.02.2024

न्यायालय संभागीय आयुक्त उदयपुर

निर्णय

दिनांकः 29/04/2026

अपीलार्थी द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956, की धारा–75 के अन्तर्गत तहसीलदार, छोटीसादडी के प्रकरण संख्या 11/2022 निर्णय दिनांक 06.02.2024 के विरूद्ध पेश की गयी।

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने अपने पिता बाबूलाल की मृत्यु के बाद तहसीलदार, छोटीसादड़ी को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि उनके खातेदारी की भूमि का नामान्तरकरण

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

उसके नाम खोला जावे। दूसरी और रेस्पोडेंट संख्या 02 ऋषभ कुमार ने एक अपंजीकृत वसीयत पेश कर तहसीलदार से निवेदन किया कि मृतक बाबूलाल की कृषि भूमि का नामान्तरकरण उसके नाम खोला जावे। तहसीलदार ने बाद जांच दिनांक 06.02.2024 को मृतक खातेदार बाबूलाल की कृषि भूमि वसीयत के आधार पर ऋषभ कुमार के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने का आदेश दिया। इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह प्रथम अपील इस न्यायालय में पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया जाकर दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों की बहस सुनी गई। उभय पक्षों द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि भूमि पैतृक है जिससे भूमि अपीलांट के नाम विरासत से दर्ज होनी चाहिये। वसीयत के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है इसके बावजूद भी तहसीलदार ने वसीयत के आधार पर आदेश दिया जो अवैध है। नामांतरकरण कार्यवाही एक फिस्कल जांच है, जिसमें किसी के अधिकार तय नहीं होते है। यह भी बताया कि वसीयत में लिखा है कि उसके कोई जायन्दा पुत्र/पुत्री नहीं है जबकि पटवारी की रिपोर्ट में लिखा है कि मृतक बाबूलाल की एक जाईन्दा पुत्री है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश क्षेत्राधिकार के बाहर है। आगे यह भी बताया कि अपीलांट ने वसीयत को सिविल न्यायालय में चुनौती दी है जहां से अस्थाई निषेधाज्ञा जारी है। अपने कथन की पुष्टि में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 06.09.2021 एस.एल.पी. सिविल नम्बर 13746/2021 जितेन्द्र सिंह बनाम मध्यप्रदेश तथा एस.एस.सी. 2007 पेज 186 सूरजभान बनाम फाईनेन्शियल कमिश्नर प्रस्तुत करते हुए अपील स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

न्यायालय संभागीय आयुक्त उदयपुर

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

विद्वान वकील रेस्पोडेंट संख्या 2 का कथन है कि अपीलांट मृतक बाबूलाल की पुत्री नहीं है तथा बाबूलाल के जीवित रहते उसकी पत्नी ने दूसरा विवाह कर लिया था, इसलिए वसीयत में बाबूलाल ने लिखा कि उसके कोई जायन्दा संतान नहीं है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायालय के दृष्टांत राजस्थान राज्य में लागू नहीं होते है। तहसीलदार ने सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए आदेश पारित किया है जो नियमानुसार है। अन्त में अपील खारिज करने हेतु निवेदन किया।

हमने विद्वान वकीलों की मौखिक बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि राजस्व ग्राम व पटवार हल्का करजू, तहसील छोटीसादड़ी में खाता संख्या 277 में अवस्थित कुल खसरे 8 क्षैत्रफल 2.7900 हैक्टेयर भूमि में से संयुक्त खातेदार बाबुलाल पुत्र भंवरलाल 1/4 की मृत्यु उपरान्त ***अपंजीकृत वसीयत दिनांक 08.04.2022*** *के आधार पर अन्य सहखातेदार के पुत्र ऋषभ के नाम तहसीलदार, छोटीसादड़ी द्वारा दिनांक 08.04.2022 को पारित नामान्तरकरण आदेश को मृतक बाबुलाल की कथित पुत्री वनिता द्वारा चुनौती देते हुए अपील प्रस्तुत की गई, जिसमें माननीय सिविल न्यायालय, छोटीसादड़ी द्वारा आक्षेपित वसीयत पर स्थगन आदेश दिनांक 10.09.2024 पारित करते हुए राजस्व रेकॉर्ड की भी यथास्थिति रखे जाने हेतु आदेश दिया गया।*

उपरोक्त पृष्ठभूमि में प्रकरण में निम्न लिखित बिन्दू विचारणीय हैः

- **यह कि प्रश्नगत भूमि की प्रकृति पैतृक होना स्पष्ट है।**
- **यह कि पैतृक सम्पत्ति में मूल खातेदार की मृत्यु उपरान्त विरासतीय अधिकार क्या होंगे व नामान्तरकरण की क्या प्रक्रिया रहेगी।**
- **यह कि पैतृक सम्पत्ति में वसीयत की नवीन परिस्थिति में क्या भूमिका होगी विशेषतः तब जब सिविल न्यायालय में परीक्षणाधीन होकर उस पर स्थगन प्राप्त है।**

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

- यह कि वसीयतग्रहिता के दत्तक पुत्र होने के क्लेम के संदर्भ में क्या विधिक अर्हताएं होंगी।
- अपीलार्थी के पुत्री होने के क्लेम के संबंध में क्या वैधानिक आवश्यकताऐं होंगी।
- प्रकरण में मूल खातेदार बाबुलाल की मृत्यु पश्चात खाता संख्या 278 में निहित 1/32 वां हिस्सा भूमि का भी नामान्तरकरण आवश्यक है। उक्त खाते में की गई कार्यवाही भी प्रासंगिक है।

प्रकरण में तहसीलदार, छोटीसादड़ी के अपीलाधीन आदेश में उपरोक्त प्रेक्षण (Observation) की विवेचना का अभाव है। अतः अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार, छोटीसादडी का दिनांक 06.02.2024 का नामान्तरकरण आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार, छोटीसादड़ी को उपरोक्तानुसार विवेचित बिन्दुओं का परीक्षण कर नए सिरे से विधिनुकूल निर्णय पारित किए जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है।

(प्रज्ञा कंवलरमानी)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर

निर्णय आज दिनांक 29.04.2026 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रज्ञा कंवलरमानी)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर